बिहार विधायिका सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि ८ दिसम्बर, १९४९

भारत शासन विधान, १९३५, के प्रावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण

सभा की बैठक पटने के सभा-वेश्म में वृहस्पतिवार, तिथि ८ दिसम्बर १९४९ को ११-३० बजे पूर्वान्ह में, माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, के सभापतित्व में हुई।

प्रश्नोत्तर।

१९३८ में पटना कोतवाली में केस।

१०३। श्री पुरुषोत्तम चौहान :

क्या माननीय प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) सन् १९३८ में पटना कोतवाली में कितने केस चोरी, डकैती और बरगलरी के रजिस्टर्ड हुए और उस समय कोतवाली में कितने स्टाफ इन सब केसों की जांच करने के लिए थे;

(ख) सन् १९४८ में पटना कोतवाली में उपर्युक्त प्रकार के कितने केस रजिस्टर्ड हुए;

(ग) क्या सरकार के सामने पटना कोतवाली में अधिक स्टाफ बढ़ाने का कोई विचार है ?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :

(क) १९३८ में २१६ चोरी के मामले और ९९ सेंधमारी के मामले थे और नियुक्त किए स्टाफ में तीन एस० आई० और तीन ए० एस० आई० थे।

(ख) १९४८ में ४७५ चोरी के मामले, २१५ सेंधमारी के मामले और एक डकैती के मामले की रिपोर्ट पुलिस को की गई।

(ग) पहले ही से स्टाफ को बढ़ा दिया गया था, तीन एस० आई० से छः एस० आई० और तीन ए० एस० आई० से छः ए० एस० आई०। इस समय स्वीकृत पदों (स्टाफ) को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम चौहान :

चोरी के cases को minor समझा जाता है या major ?

६७,६८२ रुपए की स्वीकृति हुई। पहले प्रश्न के उत्तर में कहे गये कारणों से बाबू रघुनन्दन राम को इन मकानों को बनाने के लिए ठीका नहीं दिया जा सका। मेसर्स ए० टी० हुई को नयी स्वीकृति के अनुसार ६७,६८२ रुपए में इन सब कामों का ठीका दिया गया।

(ख) उत्तर नकारात्मक है।

(ग) उत्तर नकारात्मक है।

(घ) नहीं, खराब या गोल-गोल पत्थर उन मकानों में नहीं लगाये गए हैं। इन मकानों के बनाने की देख-रेख और जवाबदेही सरंडा के डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर पर है।

(ङ) सवाल नहीं उठता है

विधायन कार्य : राजकीय विधेयक

बिहार मेन्टिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर बिल १६४६

[१६४६ का विधेयक संख्या २३] (क्रमशः)

*श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधान मन्त्री महोदय इस हाउस में मौजूद हैं और मैं उमीद करता हूं कि जो मिनिस्टर साहब उनकी गैर-हाजिरी में बिल के Incharge थे उन्होंने हमारी कही हुई सब बातों को उनको आगाह कर दिये होंगे और मैं उमीद करता हूँ कि हमारी सब बातों का जवाब प्रधान मन्त्री महोदय पूरी तरह से देंगे।

सरदार हरिहर सिंह :

अच्छा होगा यदि आप उन सब बातों को दोहरा दें।

माननीय प्रमुख :

शान्ति-शान्ति।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, जो मैं इस बिल के बारे में कह रहा था वह यह था कि यह बिल illegal, ultra vires और non-constitutional है और इसी सवाल पर मैं आपकी बहस को जारी रखूंगा।

जनाब सदर, कबल इसके कि सेक्शन ४ के प्राविजों पर मैं आऊं, जिसके मुतल्लिक मैं कह रहा था, मैं जरूरी समझता हूँ कि सारे बिल पर जो मेरा एतराज है उसे आपके सामने रख दूं। यह सही है कि मेरे दोस्त यह बिल pre-

---

* माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

ventive detention के लिए ला रहे हैं, क्योंकि सिवा इसके और किसी काम के लिए यह बिल वे ला ही नहीं सकते। इसके माने यह है...

माननीय प्रमुख :

शान्ति, शान्ति। क्यों नहीं ला सकते ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

लिस्ट में उनको preventive detention का ही अख्तियार दिया गया है।

माननीय प्रमुख :

किस लिस्ट में ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

देखिये Govt. of India Act, 1935 as adopted by the India (Provisional Constitution) order, 1947 इसमें जो Provisional legislative list है उसमें इसका जिक्र है। लिस्ट २ का नम्बर १ इसमें maintenance of public order के लिए preventive detention का अख्तियार दिया गया है। अब नये Constitution Act के मुताबिक यह Concurrent list में चला गया है। वहां भी Preventive detention का ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। Preventive detention का माने यह है कि किसी को आप गैर कानूनी काम करने से रोकने के लिये detain कर सकते हैं, कानूनी काम करने से रोकने के लिए नहीं। मेरे दोस्त यह सुन लें। यह मामूली चीज नहीं है। मेरे दोस्त खुश मालूम होते हैं।

माननीय प्रमुख :

शान्ति, शान्ति। आप अपनी बात कहिए, कोई पूछे या नहीं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

अपनी बात का असर देखना जरूरी है।

माननीय प्रमुख :

शान्ति, शान्ति। असर देखने का वक्त वोट के समय है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मेरे दोस्त ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था......

माननीय प्रमुख :

शान्ति, शान्ति। प्रेस कांफ्रेंस की बात आप कह चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

यह बात उस दिन मैंने नहीं कही थी। मेरे दोस्त ने कहा था कि जो detention order होता है उससे पहले मैं अपने को satisfy कर लेता हूँ। लेकिन उस रोज मैंने बतलाया था कि कितने लोग सिर्फ इसी बिना पर पकड़े गये कि वे कम्युनिस्ट हैं।

माननीय प्रमुख :
शांति, शांति। यह आप कह चुके हैं, फिर आज कहने की क्या जरूरत ?

श्री सैयद अमीन अहमद :
हम point of law पेश करते हैं।

माननीय प्रमुख :
Point of law कहें, लेकिन facts क्यों पेश करते हैं ?

श्री सैयद अमीन अहमद :
इसलिए उनका detention preventive नहीं, arbitrary है, गैरकानूनी है। कितने ही लोग इस बिना पर पकड़े गये कि......

माननीय प्रमुख :
शांति, शांति। इन सब बातों को तूल-तवील के साथ आप बतला चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :
मैं point of law पेश कर रहा हूँ।

माननीय प्रमुख :
तो फिर तफसील में क्यों जाते हैं ?

श्री सैयद अमीन अहमद :
अभी तफसील नहीं सिर्फ वसूल बतलाया है। एक औरत इसलिए गिरफ्तार की गई कि वह कम्युनिस्ट की औरत है।

माननीय प्रमुख :
शांति, शांति। आप यह सब कह चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :
हम यह बतला रहे हैं कि यह arbitrary या unlawful detention है।

माननीय प्रमुख :
आप कहिए कि उस दिन जिन मामलों का हमने बयान किया वे सब arbitrary detentions के सम्बन्ध में हैं। Facts दोहरायें नहीं।

श्री सैयद अमीन अहमद :
हम दोहरायेंगे नहीं सिर्फ वसूल पेश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि किसी को कम्यूनिस्ट पार्टी का मेंबर होने से रोकना तो preventive detention नहीं हुआ। ऐसा कोई कानून यहां नहीं है कि जिसके मुताबिक कम्यूनिस्ट होना जुर्म हो।

माननीय प्रमुख :
यह सब कह चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जो वसूल है उसे आज मैं पेश कर रहा हूँ।

माननीय प्रमुख :

यह दलील उस दिन आप दे चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

आप कम्यूनिस्ट पार्टी को गैरकानूनी भी नहीं घोषित करते और उसके मेंबर को पकड़ते हैं। मैं आज आपके सामने, पूरे हाउस के सामने और पूरे सूबे के सामने यह पेश करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त जो कानून बना रहे हैं वह preventive detention के लिए नहीं बल्कि arbitrary detention के लिए है। मैं दावे के साथ यह कहता हूँ कि गैरकानूनी काम से रोकने के लिए नजरबन्द करना ही preventive detention हो सकता है। कम्यूनिस्ट होने के नाते नजरबन्द करना arbitrary detention हुआ। चूंकि मेरे दोस्त ने प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा था कि नजरबन्दी के जो हुक्म होते हैं उनसे मैं पहले अपने को satisfy कर लेता हूँ इसलिए मैं पूछता हूँ कि इन केसेज में क्यों detention order दिया गया ?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :

क्योंकि मैंने ठीक समझा।

श्री सैयद अमीन अहमद

ठीक है। कानून वही है जो आप ठीक समझें। My word is law.

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :

सही है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

यह नोट किया जाय, जनाब सदर। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि my word is law. तो यह रुख (attitude) रहते हुए उनके साथ बहस की जरूरत नहीं है। लेकिन हाउस में १५२ मेंबर हैं और उनमें से प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ एक मेंबर हैं। उनके अलावे १५१ मेंबर हैं और हम लोगों को अख्तियार है कि अपने वोट से हम जिस वक्त चाहें ट्रेजरी बेंच को खाली करा दें।

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :

इस बेंच के साथ नहीं कर सकते।

माननीय प्रमुख :

शांति, शांति। मौ० सैयद अमीन अहमद इस तरह की बात नहीं कर सकते।

श्री सैयद अमीन अहमद :

तो मेरे दोस्त को रोका जाय।

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :
पहले आपको रुकना होगा।

माननीय प्रमुख :
(श्री सैयद अमीन अहमद से) पहले आप तो रुकिये।

श्री सैयद अमीन अहमद :
खैर, हम तो रुक गये।

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :
हम भी रुक गये।

श्री सैयद अमीन अहमद :
खैर, हम लोगों को आज मालूम हो गया कि democratic outlook कैसा होता है। हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जुडिशिअरी अभी इस सूबे में कायम है।

माननीय प्रमुख :
शांति, शांति। यह भी कह चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :
हाईकोर्ट के मुतल्लिक कहा था, जुडिशिअरी के मुतल्लिक नहीं।

माननीय प्रमुख :
जुडिशिअरी के बारे में भी कहा था।

श्री सैयद अमीन अहमद :
अच्छा साहब, कहा था।

माननीय प्रमुख :
आप तो सब कह ही चुके हैं। आज कुछ कहने को बाकी नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद :
जो बातें नहीं कही थीं वही कहूँगा। जनाब सदर, हमारी जितनी भी ताकत हो सकती है उसके साथ कहता हूँ कि यह preventive detention नहीं है बल्कि unlawful arbitrary detention है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ जिसके कहने की जरूरत पड़ गयी। मैं उस मामले का जिक्र नहीं करके सिर्फ उसकी ओर इशारा करूंगा। एक औरत के खिलाफ यह इलजाम था कि वह कम्युनिस्ट की औरत है। अगर यही नजरबन्दी की कसौटी हो सकती है तो माननीय श्री रामचरित्र सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार करते, जो कम्युनिस्ट लड़के के बाप हैं। डा० महमूद को क्यों नहीं पकड़ते। मर्द कम्युनिस्ट हो तो औरत पकड़ी जाय और लड़का कम्युनिस्ट हो तो बाप को मिनिस्टर बनाया जाय!

माननीय श्री रामचरित्र सिंह :

आप यह बात नहीं कह सकते ; क्योंकि तब तो आप भी पकड़े जा सकते हैं इसलिए कि आप कम्युनिस्टों के समर्थक हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ कि अभी हाईकोर्ट.........

माननीय प्रमुख :

हाईकोर्ट की बात आप नहीं कह सकते हैं ।

श्री सैयद अमीन अहमद :

यह नई बात है जो हमने नहीं कही है।

माननीय प्रमुख :

हाईकोर्ट ने यह काम किया है। यह आप कह चुके हैं ।

श्री सैयद अमीन अहमद :

दूसरी बात है। High Court should not....

माननीय प्रमुख :

यह तो संगत नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

यह संगत है। अभी मैं बताता हूँ।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :

Obey the chair.

श्री सैयद अमीन अहमद :

You obey the people first. खैर, जनाबे सदर, दूसरे मौके पर यह बात पेश की जायगी। Constitution Act के मुतल्लिक अब मैं आता हूं।

माननीय प्रमुख :

Constitution Act अभी लागू नहीं हुआ है, अत: मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री सैयद अमीन अहमद

Constitution Act पास हो चुका है।

माननीय प्रमुख :

साबित कीजिए कि लागू हो चुका है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

(किताब दिखाते हुए) यही सबूत है।

मानतीय प्रमुख :
किताब का नाम पढ़िये।

श्री सैयद अमीन अहमद :
Constitution of India Act, 1949.

माननीय प्रमुख :
यह मसविदा है, पास नहीं हुआ है।

श्री सैयद अमीन अहमद
यह मसविदा नहीं है। इसके लिए affidavit ले चुका हूं। यह पास हो चुका है। मैं इसके लिए सबूत दूंगा।

माननीय प्रमुख :
मैं कोई सबूत नहीं मानता जब तक कि वह कानून लागू नहीं होता।

श्री सैयद अमीन अहमद :
मैं कहता हूँ कि वह कानून हो गया है।

माननीय प्रमुख :
मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री सैयद अमीन अहमद :
Constitution Act, 1949 पास हो गया है।

माननीय प्रमुख :
आप को बहस करने की जरूरत नहीं है जब वह अभी लागू नहीं हुआ है।

श्री सैयद अमीन अहमद
मगर यह fact है कि Constitution Act has been passed.

माननीय प्रमुख :
लागू हो गया है यह मानने को मैं तैयार नहीं हूं। आप साबित करें।

श्री सैयद अमीन अहमद :
जी हां। मैं साबित करूंगा। मैंने खुद अपने कानों से Broadcast में सुना है। Citizenship right का दफा लागू हो गया है। I can not disbelieve my own ears. जनाब सद्र, मैं यह दावे से कहता हूँ कि Constitution Act, 1949 पास हो चुका है। उसके बाज articles enforce भी हो चुके हैं और बाकी २६ जनवरी १६५० से लागू हो जायंगे।

जनाब सदर, मेरे दोस्त यह कानून दो वर्ष के लिए बना रहे हैं। इस बिल के Section I के Sub-clause २ में है कि It shall remain in for a period of two years from the date of its commencement. अभी इस बिल

के बहुत से मरहले तय करने हैं लेकिन अगर यह बिल आज भी कानून बन जाय, जिसको मेरे दोस्त दो वर्ष के लिए रखना चाहते हैं तो यह एक महीना सत्तह दिन के बाद ही illegal हो जायेगा।

मानीय प्रमुख :

मैं सभा की कार्यवाही (proceedings) से नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन अखबार पढ़कर बता देना चाहता हूँ कि आप कही हुई बातों को दुहरा रहे हैं :-

"He pointed out further that this Bill was being enacted for two years but after all the clauses of the constitution come into force in January 1950, the Act would be automatically ultra-vires."

श्री सैयद अमीन अहमद :

उस दिन यह आखिरी बात थी जो मैंने कही थी। इसको मैं ने पूरे तौर से खतम नहीं किया था। और अब उस बात को खतम करना चाहता हूँ। जनाब सदर, अब इस बिल के Section दो के Sub-clause 1 (a) में मेरे दोस्त ने रखा है "directing that he be detained." और उसके बाद आगे चल कर उसको amplify किया है कि detention कब तक हो सकता है। Section 4 के Sub-clause (1) को आप देखें :—

"An order made under clause (a) of Sub-section (1) of Section 2 shall be in force for a period not exceeding six months from the date on which it is confirmed or modified under Sub section (5) of Section 5...."

यानी सब से पहले तो आप किसी को पकड़ लेंगे और पकड़ने के एक महीने के बाद ground of detention देंगे और उसके बाद १५ दिन तक representation का वक्त रहेगा, उसके बाद Advisory Council उस case को देखेगी, further papers मांगेगी और उसके तीन हफ्ते के बाद Advisory Council report देगी, report देने के बाद भी Government को अख्तियार है कि उसको consider करे या न करे। यह सब मरहला जब तय होगा तो आगे कार्रवाई होगी और इस दरमियान में detenee detention में रहेगा। इस period का detention हिसाब से खारिज है। जनाब सदर, सो सोचने की बात है कि इस तरह से कैसे काम चल सकता है। इसी चीज को मैं पेश कर रहा था कि यह बिल्कुल खिलाफ कानून है, क्योंकि Constitution Act article 22 के Sub-clause ४ में आप देखेंगे.......

मानीय प्रमुख :

शान्ति, शान्ति। यह तो आप कह चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद:
इसी को हम amplify कर रहे हैं।

माननीय प्रमुख:
आप बार-बार कही हुई बातों को दोहराते जा रहे हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद:
खैर, हम दोहरायेंगे नहीं। यह Constitution Act आपके सामने पेश नहीं किया गया था। मैं आज इसको पेश कर रहा हूँ।

माननीय प्रमुख:

कोई point दुहराने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह:

On a point of order, Sir, जब आप बोलते रहते हैं तो मेरे दोस्त को खड़ा नहीं रहना चाहिए। यह कानून के खिलाफ है। वे बराबर इसको तोड़ते हैं इससे मैं चाहता हूँ कि Chair का final order होना चाहिए।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय:
नहीं तो हमलोगों को हुकुम दिया जाय कि उनको बैठा दें।

श्री सैयद अमीन अहमद:
Legislature कोई Court of law नहीं है। शायद अभी तक आपने Legislature के rules को पढ़ा नहीं है।

माननीय प्रमुख:
मैं श्री प्रभुनाथ सिंह के point of order को मानता हूँ।

श्री सैयद अमीन अहमद:
जनाब सदर, इसमें दो conditions लिखे हुए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

माननीय प्रमुख:
Constitution Act से इस वक्त कोई मतलब नहीं है। तीन महीना है या नहीं उससे हम इस समय ultra-vires मानने के लिए तैयार नहीं हैं। Ultra-vires के बारे में आप काफी कह चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद:

जनाब सदर, हम इसी point पर public opinion लेना चाहते हैं और House को convince करना चाहते हैं कि ऐसा कानून किसी भी हालत में

बनना जायज नहीं है। दो वर्ष एक महीना सतरह दिन, जो रखा गया है, वह एकदम unconstitutional है। Constitution Act के Sub-clause में लिखा हुआ है कि :—

"The Parliament may, by law, prescribe the circumstance under which and the class or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than three monthes under any law providing for preventive detention and also to a maximum period for which.....

माननीय प्रमुख :

इसका भी जिक्र हो गया है।

(आवाजें—बैठ जाइये, बैठ जाइये, इसी तरह से आपको बैठाया जायगा)

सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, यह भी कायदा है कि अगर कोई सदस्य कुछ बोले तो उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको खड़ा होने का हुकुम दिया जाय।

जनाब सदर, तो मैं कह रहा था कि वह power सिर्फ Parliament को ही है। इसका भी तसकिरा हुआ था। पेज १६६, आरटिकिल ३५३ में है कि यह अख्तियार प्रेसिडेंट को दिया जाय मगर अभी तो प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ है। २६ जनवरी के बाद वे क्या करेंगे हम अभी नहीं जानते हैं।

मेरे दोस्त ने Advisory Board के बारे में procedure बनाया है मगर यह अख्तियार उनको नहीं है। Procedure बनाने का अख्तियार Parliament को ही है। Constitution Act के Article 22, Sub clause (7) में लिखा हुआ है कि:--

"and the Parliament may further prescribe by law the procedure to be followed by the Advisory Board in an enquiry under Sub-clause (a) of Section 4."

माननीय प्रमुख :

आप एक ही बात को क्यों दुहराते हैं ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

अब मैं सिर्फ ऐसी बात बोल रहा हूँ जो इस हाउस में पहले नहीं कही गई है। सिर्फ दो points connect करने के लिए मैंने दुहराया।

इस बिल के Section 3, Sub-clause (1) में लिखा हुआ है कि :—

"3. (1) If any person who has been required to enter into a bond, with or without sureties, in pursuance of the provisions of Sub-section (3) of Section 2, for the due performance or enforcement of any restriction or condition, refuses or fails

to comply with such requirement on or before the date on which the bond is required to be entered, the District Magistrate or the Subdivisional Magistrate may order that he may be committed to prison or if he is already in prison, be detained in prison until the expiry of the period of which he was required to enter into bond or until he tenders bond in accordance with the order."

जनाब सदर, मेरे दोस्त यह Sub-clause रखना चाहते हैं जिसका मतलब यह है कि कोई शख्स अगर उनके सामने लाया जाय तो वे उनसे bond मांग सकते हैं। और तारीफ तो यह है कि कितने दिन के लिए bond मांगा जायगा यह specified नहीं है। उसके बाद अगर उस bond को नाकाफी समझा जाय तो वे unfit हो जायेंगे। आप ऐसी arbitrary power क्यों लेना चाहते हैं? Bond के बारे में गौर फरमाया जाय कि कितने period के लिए bond लिया जायगा। Section 2, Sub-clause (3) को देखा जाय:—

"2. (3) An order made under Sub-section (1) may require the person in respect of whom it is made to enter into a bond with or without sureties, to the satisfaction of the District Magistrate or the Subdivisional Magistrate for the due performance of, or as an alternative to the enforcement of, such restrictions or conditions made in the order as may be specified in the order."

इसमें कोई limit नहीं रखा गया है। इसका माने यह है कि अगर आप चाहें तो whole-life के लिए जेलखाने में किसी शख्स को बन्द करके रख सकते हैं। इस किस्म का arbitrary power कहां से आप को मिला? Criminal Procedure Code के Sections 106, 107, 108, 109 या 110 को देखा जाय तो पता लगेगा कि सब में limit रखा गया है। मेरे दोस्त कानूनदां हैं, मगर ऐसा life-detention का provision कैसे करते हैं। किस कानून के सह से ऐसा clause बनाते हैं हम जानना चाहते हैं।

अब मैं clause 4 में आता हूँ। Clause 4 में आप बतला चुके हैं कि date of confirmation के बाद ६ महीने तक detain कर सकते हैं। आपने clause 4 के Sub-clause (1) के item (ii) के जरिये यह अख्तियार ले लेने की कोशिश की है कि कबल इसके कि वह जेल से निकले उस पर एक fresh order डाल दिया जाय कि ६ महीने वह जेल के अन्दर और रहे on the same ground। मतलब आपका यह है कि छः ही महीने नहीं बल्कि एक बरस तक वह जेल में रहे और वह भी confirmation के बाद। जनाबे सदर, item (ii) इस तरह है:—

"If in the opinion of the Provincial Government it is necessary or expedient so to do, it may at any time before the expiry of the period of six months aforesaid and after

giving an opportunity to the person concerned to make any representation in writing which he may desire to make, and after refering the matter to the Advisory Council constituted under Sub-section (3) of Section 5 and considering its report, direct that the order shall continue inforce whereupon the order shall continue for a further period of six months.. ..etc. etc.

तो यह है मतलब मेरे दोस्त का।

फिर item (iii) में आप कहते हैं:-

"The revocation of any order made under clause (a) of Sub-section (1) of Section 2 shall not prevent the making under that clause of a fresh order to the same effect as the order revoked."

यानी कोई भी वसूल इसमें justic का, morality का, equity का good conscience का, fair play का कहीं है। ये provisions, preventive detention के लिए दिए गये हैं।

माननीय प्रमुख :

उस सम्बन्ध में तो आपने संशोधन की सूचना दी है। यहां अगर detail देंगे तो फिर आप दलील नहीं पेश करने पाइएगा।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैं दलीलों को दुहराऊंगा नहीं। तो असली मतलब मेरे दोस्त का यही है कि वह order को revoke करने के बाद भी उस आदमी को terror striken रखना चाहते हैं। यह सरकार जो हमारी democratic Government होने का दावा करती है उसका असली मतलब यही है कि वह बिहार की पूरी जनता के दिल में दहशत पैदा करना चाहती है कि order को revoke करने के बाद भी उसका हुक्म नहीं है कि वह गरीब जिसका order revoke हो गया, इतमीनान से रहे। Whole population of Bihar के दिल में terror पैदा करना चाहते हैं। वाकया यह है कि मेरे दोस्त rule of law नहीं बल्कि reign of terror कायम करना चाहते हैं। अब जनाब सदर, Section 5 के बारे में तो मैं कह चुका। इसके proviso के बारे में थोड़ा सा उस रोज कहा था। यह proviso यह है:—

"Provided that neither the said order nor the detention of the said person thereunder shall be invalid or unlawful or improper on the ground of any defect, vagueness or insufficiency of the communication made to such person under this Section."

जनाबे सदर, मैं तो आखिरी रोज कह चुका कि यह Constitution Act के provision के भी खिलाफ है। आज आपके सामने यह पेश करूंगा कि असली मतलब इनका क्या है। Section 491, Criminal Procedure Code

के रू से हाईकोर्ट को power है कि कोई शख्स अगर improper detention में है तो वह मेरे दोस्त को मजबूर कर सकती है उस शख्स को छोड़ने के लिए—to set him at liberty. Section 491, Sub-clause (b) (1) यह है कि—

माननीय प्रमुख :

उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मुझको तो पूरे हाउस को बतलाना है। अगर मैं न पढ़ूं तो लोग ख्याल कर सकते हैं कि यह मेरा personal opinion है—

"That a person illegally or improperly detained in public or private custody within such limits to set at liberty."

यह power, Section 491, Criminal Procedure Code में हाईकोर्ट को है। जनाब सदर, habeas corpus का power जो आज है उस पर मेरे दोस्त अब कलम नहीं उठा सकते हैं। यह अख्तियार इनको नहीं है। Section 32 (1) और (2) नए Constitution का देखा जाय—rights to constitutional remedies—right to move the Supreme Court by appellate proceedings....

माननीय प्रमुख :

शान्ति, शान्ति। हाईकोर्ट जाने के लिए कहां मनाही है ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, मैं कह रहा था कि हाईकोर्ट को power है कि अगर कोई शख्स improper या illegal detention में हो तो उसको set at liberty कर दे। मगर इनका proviso यह है— "Provided that neither the said order nor the detention of the said person thereunder shall be invalid or unlawful or improper on the ground of any defect, vagueness or insufficiency of the communication made to such person under this Section." हाईकोर्ट को अभी तक सिर्फ यही देखने का अख्तियार है कि detention proper या improper है। सब requirements को पूरी तरह fulfil किया गया है या नहीं—whether you have fulfilled all the legal requirements. मेरा कहना यह है कि अब जो यह proviso लगा रहे हैं यह बिलकुल Constitution Act के खिलाफ होगा और यह indirect तरीके से habeas corpus पर हमला है क्योंकि इस proviso के पास हो जाने के बाद habeas corpus application ही नहीं हो सकती।

जनाब सदर, यह right हम लोगों को Article 32 में मिला है। इसमें यह है :—

(1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed.

(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or write, including write in the nature of *habeas corpus mandamus* prohibttion, *quo warranto* and *certio rari*, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this part.

(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clause (1)and (2) Parliament may by law..

माननीय प्रमुख :

आप किस विधान से पढ़ रहे हैं ?

श्री सैयद अमीन अहमन्द :

Constitution Act, page 14 & 15, Article 32 से पढ़ रहे हैं।

माननीय प्रमख :

जो विधान आप पढ़ रहे हैं क्या वह लागू हो गया है ?

यह तो विधान अभी नहीं है बल्कि मसविदा है। हम मसविदा को नहीं पढ़ने देंगे।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, जो लोग......

माननीय प्रमुख :

शांति, शांति। जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसे मैं नहीं पढ़ने दूंगा। अगर कोई दूसरी चीज हो तो पढ़ें। भारतीय विधान (Constitution of India) से आप दिखलावें।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैं draft लफ्ज को काट देता हूँ और इसको सही कर देता हूँ। तो जनाब सदर, Constitution of India 1949.........।

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :

प्रमुख महोदय, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। अभी हमारे दोस्त जिस किताब को पढ़ रहे थे उनके कहने के मोताबिक वे 'मसविदे' को नहीं काट सकते हैं। वे जो नाम काट कर आपके सामने पढ़ना चाहते हैं वह हाउस की प्रतिष्ठा (dignity) के खिलाफ है और आप ऐसी हरकतों को रोकने की कोशिश करें।

माननीय प्रमुख :

हाँ। आप अपनी और दलील पेश करें।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, मैं इस किताब को नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं अपने नोट्स से पढ़ रहा हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ मैं कहूँगा वह Constitution Act में आप देख सकते हैं।

माननीय प्रमुख :

शांति, शांति। यह सब हमारा काम नहीं है। आपको जो दलील देना है उसको दीजिए।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, यह Article 32 Sub-sectin 3 है उसमें यह प्रोविजन जो सुप्रीमकोर्ट का power है......।

(आवाज—बैठ जाइये-बैठ जाइये)

माननीय प्रमुख :

शांति, शांति। Constitutional Act कहां है ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

यह मेरे दिमाग के अन्दर है।

माननीय प्रमुख :

अगर आप इस तरह से बहस करते जायेंगे तो आपको इसका नतीजा मालूम है। विधायिका सभा नियमावली के नियम ५० में यह है:—
"The Speaker may direct any member who refuses to obey his order or whose conduct, in his opinion, is otherwise disorderly or who has been found guilty of breach of a privilege of the members of the Assembly to withdraw immediately from the Assembly for a period to be named by him."

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैं अपने दिमाग से बोलता हूँ। जनाब सदर, मैं यह कह रहा था कि जो अख्तियार उसमें दिया गया है वह अख्तियार Article 32 में High Court को दिया गया है। Article 226 में यह है कि अब कोई Provincial Assembly High Court के Habeas corpus के power के मोतल्लिक उसको रोकने के लिए या बन्द करने के लिए किसी तरह का कानून नहीं बना सकती है। सिर्फ एक Provision और रखा गया है इस Constitutional Act 1949 में यानी जब grave emergency हो जाय तो उसके लिए एक खास Chapter (Chapter 18) है। वैसी हालत में President proclamation कर सकते हैं कि जो fundamental rights है, rights of constitutional remedy हैं वे suspended हो जायेंगे। लेकिन हमारे दोस्त को और हमारे दोस्त की हुकूमत को यह अख्तियार नहीं है।

माननीय प्रमुख :

शांति-शांति। आप इस हाउस की शान के खिलाफ बोलते हैं। इसको आप उठा लें।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैं हाउस की शान के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। खैर, अगर आप कहते हैं तो उठा लेता हूँ। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ इशारा किया था हाउस की तरफ नहीं। मेरे दोस्त ने prevention detention के अलावे बहुत से अख्तियार इस बिल के जरिये लेने की कोशिश की है। वह अख्तियार यह है कि अब कोई मीटिंग नहीं हो सकती है जब तक हुकूमत इसकी इजाजत न दे। किसी किस्म का जुलूस कोई नहीं निकाल सकता जबतक कि हुकूमत इसकी इजाजत न दे।

हम लोगों को right of association, freedom of speech और freedom of expression का अख्तियार Constitution Act में मिल चुका है। यह जेनरल अख्तियार हम लोगों को मिला हुआ है मगर इसमें एक ही exception है और वह है कि in the interest of public order and maintenance of public peace एक reasonable restriction लगा सकते हैं। Mark the word "reasonable restriction" उससे फाजिल नहीं जा सकते हैं। मेरे दोस्त बार बार कहते हैं कि यह कम्युनिस्ट के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। मगर उनकी कार्रवाई या मीटिंग तो under ground होती है, वे तो आपके पास मीटिंग की खबर देते नहीं जो आप उनको रोक सकें। कहने की गरज यह है कि यह हर्बा तो कम्युनिस्टों के खिलाफ नहीं तैयार किया जा रहा है बल्कि पोलिटिकल पार्टियों को दबाने के लिये है जो इस इलेक्शन के जमाने में जनता को अपना वोट होशियारी से इस्तेमाल करने को बता रही हैं। आप इस हर्बे से उनपर पाबन्दी आयद करना चाहते हैं। आप यह कानून बना सकते हैं कि कोई मीटिंग करना चाहे या जुलूस निकालना चाहे तो एक हफ्ता पहले खबर दे मगर यह क्या बात है कि आपके अफसरों को इजाजत के बिना मीटिंग या जुलूस नहीं निकाल सके। एक हफ्ते का वक्त आपको मिल जाता है इसमें आप सोच सकते हैं कि इसको रोका जाय या नहीं। अगर रोकना हो तो Criminal Procedure Code की दफा १४४ मौजूद है। इस पब्लिकसेफ्टी ऐक्ट की क्या जरूरत है। इसमें किसी को शिकायत नहीं हो सकती है। क्योंकि आप information चाहते हैं, आप लीजिये और खतरनाक मालूम हो तो दफा १४४ लगा कर रोक दीजिए। अंग्रेजी हुकूमत बहुत बदनाम है मगर उसने Peace time में दफा १४४ से सम्भाल लिया। हां, लड़ाई के जमाने में Defence of India Rule बनाया था मगर लड़ाई खतम होते ही उसको भी खतम कर दिया। आप अंग्रेजों के नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं मगर दफा १४४ से सम्भाल नहीं

सकते। दफा १४४ अलाउद्दीन का चिराग तो है ही उसीसे क्यों नहीं संभालते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि Constitution Act के खिलाफ काम कर रहे हैं। Constitution Act इतनी ही इजाजत देता है कि reasonable restriction लगा सकते हैं मगर आपने तो पाबन्दी लगा दी है कि बिना आप की इजाजत के कोई मीटिंग नहीं हो सकती या जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। यह अख्तियार आपको नहीं है। यह तो हमारे fundamental right को छीनना हुआ। २६ जनवरी १६५० को जब प्राइम मिनिस्टर को Constitution Act के लिए oath लेना होगा तो उसके बाद इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। यह नहीं होगा कि oath लेंगे कि हम इसको मानते हैं और यहां उसके खिलाफ बिल लायेंगे। सेक्सन ६ में prohibit, restrict or impose......

माननीय प्रमुख :

आप तफसील में जाना मना है सिर्फ सिद्धांत (principle) की बात कह सकते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

Prohibit लफ्ज Constitution Act में नहीं है......

माननीय प्रमुख :

आप मानते नहीं है। आप फिर उसी चीज को दुहराना चाहते हैं। तफसील में मत जाइए। सिद्धांत की बात कहिये।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैं यही कह रहा हूँ कि Constitution Act और इसमें विरोध है। अगर इजाजत हो तो इस जुम्ले को खतम कर दूं। इसमें लिखा है prohibit restrict......

माननीय प्रमुख :

शान्ति, शान्ति। इसको मैं तफसील की बात मानता हूँ। इसको आप नहीं कह सकते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

खैर, अब मैं सेक्शन १२ पर आता हूँ। यह requisitioning of property पर है। इसमें लिखा है कि—

"If in the opinion of the Provincial Government it is necessary or expedient so to do for securing the public safety or the maintenance of public order, it may by order in writing requisition any property, movable or immovable, and may make such further orders as appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning :

Provided that no property used for the purpose of religious worship shall be requisitioned under this section."

अब उसके बाद compensation के बारे में कहता हूं।

Whenever, in pursuance of Sub-section (1) or Sub-section (2), the Provincial Government requisition any movable or immovable property, the owner thereof may be paid such compensation as the Provincial Government may determine.

जनाब सदर, मैं यह कहूँगा कि अभी ऐसे circumstances नहीं है कि आप को इस अख्तियार को दिया जाय। मैं समझता हूँ कि सरकार को वैसा ही कानून बनाना चाहिए जो वक्त के मुताबिक हो। अगर आपको communists से खतरा है तो इसके लिए आप जरूरी अख्तियारात को लें लेकिन इस किस्म का sweeping power देने के लिए यह हाउस कभी तैयार नहीं है। ऐसे अख्तियार को सरकार जिस property को चाहे ले ले और जो compensation चाहे वह दें यह बिलकुल गैरमुमकिन है और Constitution Act के principles के बिलकुल खिलाफ है। बहुत से दोस्त जो Constituent Assembly के सभासद भी है उन्हें मालूम होगा कि Constitution Act जो अभी बना है उसमें यह प्रोविजन है कि "take possession" or "acquire" भी नहीं कर सकते हैं और उस प्रोपर्टी को उसी कानून से acquire या take possession कर सकते हैं जिस कानून से उन्हें वह property मिली थी। हमारे दोस्त यह चाहते हैं कि rule-making power से इनको यह अख्तियार रहे कि :—
"The owner there of may be paid such compensation as the Provincial Government may determine." मेरी समझ में सरकार को यह अख्तियार देना वाजिब नहीं है।

माननीय प्रमुख :

"Take possession" इसमें कहां पर है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

"Take possession" का लब्ज तो नहीं है लेकिन "Requisition" का तो वही मानी है। इसमें लिखा है "The Provincial Government may by order in writing requisition any property, movable or immovable." इसका तो वही मतलब है जो 'take possession' का होता है।

माननीय प्रमुख :

यहां पर 'take possession' का लफ्ज तो नहीं है लेकिन आप 'requisition' का वही अर्थ लगाते हैं। यह तो दूसरी बात हुई। खैर आप आगे चलें।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, अब जरा आप क्लौज १५ के ऊपर गौर करें। इसमें हमारे दोस्त वैसी अख्तियारात लेना चाहते हैं जिन अख्तियारात को उन्हें नहीं लेना चाहिए। इस क्लाज में लिखा है :—

15 (1) Any officer of Government authorised in this behalf by general or special order of the Provincial Government may, within such area as may be specified in the order, require any male person in that area to assist in the maintenance or restoration of law and order in the protection of property for such period and in such manner as the officer may direct.

(2) If any person fails to comply with any lawful direction given to him under Sub-section (1) he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine, or with both.

जनाब सदर, १९४२ के जमाने में क्या क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। तार तोड़े गये, रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं और उस वक्त की सरकार ने भले-भले आदमियों से, जिन लोगों ने ऐसी हरकतें नहीं की थीं, सड़क मरम्मत करायी और दूसरी २ बेइज्जती का काम उन्हें करना पड़ा और क्या क्या वाक-यात उनके साथ नहीं हुए। आज हमारी अपनी सरकार भी उन्हीं अख्तियारातको हासिल कर अपने देश के लोगों के ऊपर उसी जमाने को दोहराना चाहती है। मैं समझता हूँ कि इस House का एक मेम्बर भी सरकार को इस किस्म का अख्तियार देने के पक्ष में नहीं है। यह क्लौज १५ fundamental rights के बिल्कुल खिलाफ है। आप लोगों को मालूम है कि fundamental rights में बेगार लेनेकी मुमानियत कर दी गई है लेकिन इस क्लौजके अन्दर जो चीज है वह बेगारी से भी ज्यादा है। ऐसा अख्तियार बिल्कुल गैरमुनासिब है जिसके जरिए कोई भी सरकारी अफसर किसी बाशिन्दे को जब चाहे, जहां चाहे जो काम चाहे करा सकता है और अगर कोई आदमी इसमें उज्र करे तो उसे सजा दी जायगी।

माननीय प्रमुख :

क्या आप यह अन्दाजा बता सकते हैं कि कितना और वक्त आप लेंगे।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मुझे खुद अन्दाज नहीं है कि मुझे कितनी देर और लगेगी।

(मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश)